44

संसदीय मंच संबंधी प्रकोष्ठ

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

टी. ओ. संख्या 91

मूल्य : 14.00 रु.

© 2014 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (पन्द्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अधीन प्रकाशित और मै. जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

आमुख

यह सारांश संसदीय प्रक्रिया सारांश माला का भाग है और इसमें संसदीय मंचों के कार्यकरण का संक्षिप्त वर्णन है। संसदीय मंच अपने संसद सदस्यों को नोडल मंत्रालयों के संबंधित विशेषज्ञों और मुख्य अधिकारियों के साथ देश के समक्ष महत्वपूर्ण मुद्दों पर संकेन्द्रित, सार्थक और परिणामोन्मुखी चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करते हैं ताकि कार्यान्वयन प्रक्रिया में तीव्रता लाई जा सके। ये मंच संसद सदस्यों को महत्वपूर्ण विषयों और जमीनी हकीकतों से अवगत कराते हैं और उन्हें विषय विशेष पर अद्यतन सूचना, जानकारी, तकनीकी जानकारी तथा देश के भीतर और बाहर दोनों के विशेषज्ञों से महत्वपूर्ण जानकारी दिलाने में सहायता करते हैं ताकि माननीय सदस्य सभा में और विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों की बैठकों में इन मुद्दों को प्रभावकारी ढंग से उठाने में समर्थ हो सकें। यह सारांश संसदीय मंचों पर तत्काल संदर्भ के प्रयोजन के लिए है।

तथापि, इस सारांश में दी गई जानकारी संपूर्ण नहीं है। अत: पूर्ण जानकारी के लिए मूल स्रोतों का ही अवलोकन करें और उन्हीं को विश्वसनीय मानें।

नई दिल्ली;
अप्रैल, 2014
वैशाख, 1936 (शक)

पी. श्रीधरन,
महासचिव।

संसदीय मंच संबंधी प्रकोष्ठ

चौदहवीं लोक सभा में लोक सभा अध्यक्ष ने 12 मई, 2005 को जल संरक्षण और प्रबंधन संबंधी संसदीय मंच के गठन की बात कही थी ताकि सदस्य जल संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यवस्थित ढंग से विचार-विमर्श कर सकें और साथ ही सभा में और समितियों की बैठकों के दौरान उक्त मुद्दे को प्रभावी ढंग से उठा सकें। जल संरक्षण और प्रबंधन संबंधी पहला संसदीय मंच 12 अगस्त, 2005 को गठित किया गया था। तत्पश्चात्, बाल, युवा, जनसंख्या और जन स्वास्थ्य तथा ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन संबंधी चार और संसदीय मंचों का गठन भी चौदहवीं लोक सभा के दौरान किया गया।

2. मई, 2009 में पंद्रहवीं लोक सभा के गठन के पश्चात् 21 जनवरी, 2010 को उपर्युक्त सभी संसदीय मंचों का पुनर्गठन किया गया। पंद्रहवीं लोक सभा के दौरान, लोक सभा अध्यक्ष द्वारा तीन और संसदीय मंचों यथा 8 दिसम्बर, 2011 को आपदा प्रबंधन संबंधी संसदीय मंच, 26 अप्रैल, 2013 को कारीगर और शिल्पकार संबंधी संसदीय मंच और 11 दिसम्बर, 2013 को सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य संबंधी संसदीय मंच का गठन किया गया और इस तरह से

1

अब संसदीय मंचों की कुल संख्या बढ़कर आठ हो गई है। ये मंच निम्नलिखित हैं:—

(1) जल संरक्षण और प्रबंधन संबंधी संसदीय मंच;

(2) संसदीय बाल मंच;

(3) संसदीय युवा मंच;

(4) जनसंख्या और जनस्वास्थ्य संबंधी संसदीय मंच;

(5) ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय मंच;

(6) आपदा प्रबंधन संबंधी संसदीय मंच;

(7) कारीगर और शिल्पकार संबंधी संसदीय मंच; और

(8) सहस्राब्दि विकास लक्ष्य संबंधी संसदीय मंच।

संसदीय मंच विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों और संबंधित मंत्रालय/विभाग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और न ही उनके क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करते हैं।

संसदीय मंच के उद्देश्य

3. इन संसदीय मंचों के गठन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(क) संसद सदस्यों को कार्यान्वयन प्रक्रिया में तीव्रता लाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर संकेन्द्रित, सार्थक और परिणामोन्मुखी चर्चा करने के लिए संबंधित मंत्रियों,

विशेषज्ञों, नोडल मंत्रालयों के मुख्य अधिकारियों के साथ विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए मंच प्रदान करना;

(ख) संसद सदस्यों को महत्त्वपूर्ण विषयों और जमीनी हकीकतों से अवगत कराना तथा उनको अद्यतन सूचना, जानकारी, तकनीकी जानकारी तथा देश और विदेश दोनों के विशेषज्ञों से महत्वपूर्ण जानकारी दिलाने में सहायता करना ताकि वे सभा में और संसदीय समितियों की बैठकों में इन मुद्दों को प्रभावकारी ढंग से उठाने में समर्थ हो सकें; और

(ग) संबंधित मंत्रालयों, इंटरनेट, गैर-सरकारी संगठनों, समाचारपत्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ, आदि से महत्वपूर्ण मुद्दों पर आंकड़ों/सूचना के संकलन के जरिये डेटाबेस तैयार करना और उनका परिचालन लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों में करना ताकि वे मंच की बैठकों में सार्थक ढंग से भाग ले सकें और बैठकों में उपस्थित मंत्रालय के विशेषज्ञों अथवा अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांग सकें।

रचना

4. संबंधित मंच के दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि लोक सभा अध्यक्ष सभी संसदीय मंचों के पदेन प्रेसीडेंट होंगे सिवाय

जनसंख्या और जनस्वास्थ्य संबंधी संसदीय मंच के, जिसमें राज्य सभा के सभापति मंच के पदेन प्रेसीडेंट और लोक सभा के अध्यक्ष पदेन को-प्रेसीडेंट होंगे। प्रेसीडेंट के अलावा राज्य सभा के उपसभापति, लोक सभा के उपाध्यक्ष, संबंधित मंत्रालय और विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों के संबंधित सभापति मंच के पदेन वाइस-प्रेसीडेंट होंगे।

5. प्रत्येक मंच में 31 सदस्यों से अनधिक सदस्य (प्रेसीडेंट, को-प्रेसीडेंट और वाइस-प्रेसीडेंट को छोड़कर) होते हैं जिसमें लोक सभा से अधिक से अधिक 21 सदस्य और राज्य सभा से अधिक से अधिक 10 सदस्य होते हैं। मंचों के सदस्यों को लोक सभा अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति द्वारा जैसा भी मामला हो, दलों और समूहों के नेताओं में से अथवा विषय की विशिष्ट जानकारी रखने वाले/उसमें अत्यधिक रुचि लेने वाले नामितियों में से नामनिर्दिष्ट किया जाता है।

मंच की बैठकों/सेमिनारों के दौरान अपने-अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी मंच के साथ विशेष आमंत्रिती के रूप में जोड़ा जाता है, जो मंच की बैठकों/सेमिनारों के दौरान अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं/पत्र प्रस्तुत करते हैं।

महासचिव, लोक सभा इन मंचों का सचिव होता/होती है तथा लोक सभा सचिवालय इन मंचों के लिए सेवाएं देता है।

4

कार्यकाल

6. मंच के सदस्यों का कार्यकाल संबंधित सभाओं में उनकी सदस्यता के समापन के साथ समाप्त हो जाता है।

मंच का कोई भी सदस्य सभापति, राज्य सभा अथवा अध्यक्ष, लोक सभा, जैसा भी हो, को लिखकर त्यागपत्र दे सकता/सकती है।

बैठकों का सार

7. संसदीय समितियां अपने कार्यकाल के दौरान जांच हेतु चुने गए विषय पर विचार-विमर्श करती हैं और तत्संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं जबकि संसदीय मंच सदस्यों को उनकी रुचि के सामयिक मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करने हेतु एक अनौपचारिक मंच प्रदान करते हैं, जिससे कि उन्हें सभा के वाद-विवादों अथवा संसदीय समितियों की बैठकों में प्रभावी ढंग से भाग लेने में सहायता मिलेगी। अतः, संसदीय मंच न तो प्रतिवेदन तैयार करते हैं और न ही सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

तथापि, सचिवालय द्वारा प्रत्येक संसदीय मंच की चर्चाओं के सार तैयार कर लोक सभा वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं और उसमें जिन-जिन बिन्दुओं पर कार्रवाई की जानी होती है उन्हें संबंधित मंत्रालयों/विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित किया जाता है और तत्संबंधी सूचना लोक सभा सचिवालय को दी जाती है।

मंचों की उपलब्धियां

8. संसदीय मंचों द्वारा संसदीय सत्रों के दौरान नियमित रूप से बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा संबंधित मंचों के क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रस्तुतीकरण दिया जाता है। पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान कुल 76 बैठकों का आयोजन किया गया। पन्द्रहवीं लोक सभा के दौरान प्रस्तुतीकरण देने वाले प्रतिष्ठित विशेषज्ञों में से कुछ निम्नलिखित हैं:-

जल संरक्षण और प्रबंधन संबंधी संसदीय मंच के अंतर्गत सुश्री सुनीता नारायण, डायरेक्टर सेंटर फार साइंस एंड एनवायरनमेंट; श्री ऐडन क्रोनिन, जल और पर्यावरण स्वच्छता विशेषज्ञ, यूनिसेफ, भारत; श्री राजेश कुमार, चेयरमैन, केन्द्रीय जल आयोग; और डॉ. बिन्देश्वर पाठक, संस्थापक, सुलभ इंटरनेशनल सोशल आर्गेनाइजेशन।

संसदीय युवा मंच के अंतर्गत प्रो. सुखदेव थोरट, चेयरमैन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग; और श्री दिलीप चिनॉय, एमडी एंड सीईओ, नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन।

संसदीय बाल मंच के अंतर्गत श्री विनीत जोशी, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई); श्री जोस बर्गुआ, चीफ, बाल संरक्षण, यूनिसेफ, भारत; सुश्री शिरीन वकील मिलर, निदेशक-

पालिसी एंड एडवोकेसी, सेव द चिल्ड्रेन; प्रोफेसर अरविन्द पनगरिया, प्रोफेसर, कोलंबिया विश्वविद्यालय; और श्री आमोद कंठ, प्रयास इंस्टीट्यूट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस।

जनसंख्या और जनस्वास्थ्य संबंधी संसदीय मंच के अंतर्गत डॉ. नेटा मेनाब्दे, भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि; डॉ. एन्टोनियो ड्यूरां, समन्वयक, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, आंदालूशियन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, स्पेन; डॉ. तरुण शर्मा, निदेशक, शंकर नेत्रालय, चेन्नै; और श्री देवेश चतुर्वेदी, आयुक्त, इलाहाबाद।

ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय मंच के अंतर्गत श्री निकोलस डनलप, सेक्रेटरी जनरल, क्लाइमेट पार्लियामेंट; प्रो. सर डेविड किंग, जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ; और सुश्री बैरोनेस ब्रयोनी वर्थिंगटन, ऊर्जा/जलवायु पर विपक्ष की प्रवक्ता, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट और वाइस प्रेसीडेंट, ग्लोब इंटरनेशनल।

आपदा प्रबंधन संबंधी संसदीय मंच के अंतर्गत श्री एम. शशिधर रेड्डी, वाइस–चेयरमैन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए); और श्री कृष्णा एस. वत्स, रीजनल डिजास्टर रिडक्शन्स एडवाइजर, यूएनडीपी।

7

इसके अतिरिक्त, कारीगर और शिल्पकार संबंधी संसदीय मंच द्वारा 'हथकरघा और हस्तशिल्प-भावी चुनौतियां' (हैंडलूम्स एंड हैंडिक्राफ्ट्स-चैलेंजेज अहेड) विषय पर 18 से 20 दिसम्बर, 2013 तक वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से एक कार्यशाला-सह-प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

8